



प्रेस नोट

थाना बिनौली

दिनांक 23.10.2026

थाना बिनौली पुलिस ने ग्राम रंछाड़ में हुई फायरिंग की घटना में थाने पर पंजीकृत मु0अ0सं0 322/26 में प्रकाश में आये वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक लकड़ी की फंटी बरामद ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 22.10.2026 को थाना बिनौली पर वादी श्री जयवीर सिंह पुत्र कलीराम निवासी ग्राम रंछाड़ थाना बिनौली जनपद बागपत ने लिखित तहरीर दी कि अभियुक्तों 1.संजीव पुत्र जयपाल, 2.रक्षित पुत्र संजीव, 3.जयपाल पुत्र हरवंश निवासीगण ग्राम रंछाड़ थाना बिनौली जनपद बागपत 4.अनुज पुत्र सतेन्द्र, 5.भोला पुत्र पप्पू निवासी ग्राम सोटा थाना बाबरी जनपद शामिल एवं 10 से 12 अज्ञात व्यक्ति द्वारा एक राय होकर अपने- अपने हाथों में लाठी-डण्डे व धारदार हथियार एवं तमंचे लेकर उसके घर में घुसकर उसके व उसके परिजनों के साथ गाली-गलौच करते हुए मारपीट की तथा जान से मारने की नीयत से फायर किया, जिससे उसकी भतीजी दाहिने हाथ में गोली लगने से घायल हो गयी एवं जान से मारने की धमकी दी । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बिनौली पर मु0अ0सं0 322/26 धारा 191(2)/191(3)/190/333/115(2) /109(1)/351(3)/352 बीएनएस पंजीकृत किया गया।



कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं /वांछित अभियुक्तों/ की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बिनौली पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 322/26 धारा 191(2)/191(3)/190/333/115(2)/109(1)/351(3)/352 बीएनएस से सम्बन्धित प्रकाश में आये 01 वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक लकड़ी की फंटी बरामद हुई है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

कपिल पुत्र सतेन्द्र निवासी ग्राम जिवाना गुलियान थाना बिनौली जनपद बागपत।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

- 1-मु0अ0सं0 385/25 धारा 115(2)/351(3)/352 थाना बिनौली जनपद बागपत।
- 2-मु0अ0सं0 53/26 धारा 115(2)/191(2)/351(3)/352 बीएनएस थाना बिनौली जनपद बागपत।
- 3-मु0अ0सं0 79/26 धारा 324(4)/329(3)/351(3)/61(2) थाना बिनौली जनपद बागपत।
- 4-मु0अ0सं0 321/26 धारा 3/11 पशु क्रूरता अधिनियम थाना बिनौली जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण

- घटना में प्रयुक्त एक लकड़ी की फंटी।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री संजीव कुमार थाना बिनौली जनपद बागपत।
- 2-का0 892 तेजवीर सिंह थाना बिनौली जनपद बागपत।
- 3-पीआरडी 6009 धर्मपाल सिंह थाना बिनौली जनपद बागपत।



BAGHPAT POLICE

थाना खेकडा



दिनांक 23-10-2026

थाना खेकडा पुलिस ने मोटर साइकिल चोर को किया गिरफ्तार ।

जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं चोरों/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खेकडा पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 376/26 धारा 303(2) बीएनएस-2023 चोरी का सफल अनावरण करते हुए 01 अभियुक्त फरमान पुत्र अखलाक निवासी गली नं0 05 हिण्डन विहार थाना नन्दग्राम जनपद गाजियाबाद को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से चोरी की हुई मोटर साइकिल हीरो स्प्लेन्डर न0 UP17S2353 बरामद हुई है ।



baghpatpolice



BAGHPAT POLICE

थाना कोतवाली बागपत



दिनांक 23-10-2026

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने अवैध पटाखा तस्कर 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

जनपद में आगामी दीपावली पर्व के दौरान अवैध पटाखों के भंडारण व व्यापार की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 02 अभियुक्तों 1.राजीव पुत्र विश्वनाथ राय निवासी थाना मंडोली सबोली नार्थ ईस्ट दिल्ली वर्तमान पता न्यू विकास नगर थाना लोनी जनपद गाजियाबाद व 2.कमल पुत्र सुकरम पाल निवासी न्यू विकास नगर लोनी गाजियाबाद को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से निर्मित अवैध पटाखे वजन करीब 90 किलोग्राम बरामद हुए हैं ।



baghpatpolice



BAGHPAT POLICE



पुलिस अधीक्षक बागपत द्वारा वांछित 01 अभियुक्ता सहित 03 अभियुक्तों पर ₹25,000
का पुरस्कार घोषित

दिनांक 23-10-2026

1-पुलिस रेगुलेशन के पैरा 464(क) में निहित प्रावधानों के अंतर्गत थाना बागपत पर पंजीकृत मु0अ0सं0 706/25, धारा 103(1), 3(5) बीएनएस में वांछित/फरार अभियुक्ता साईन पत्नी रियासत, निवासी मौहल्ला केतीपुरा, कस्बा व थाना बागपत, जनपद बागपत की गिरफ्तारी हेतु ₹25,000 का पुरस्कार घोषित किया गया है।

2-पुलिस रेगुलेशन के पैरा 464(क) में निहित प्रावधानों के अंतर्गत थाना कोतवाली बागपत पर पंजीकृत मु0अ0सं0 478/26 धारा 309(4)/61(2)/317(2) बीएनएस में वांछित/फरार अभियुक्त बंटी पुत्र सुभाष निवासी ग्राम जावली थाना टीला मोड जनपद गाजियाबाद की गिरफ्तारी हेतु ₹25,000 का पुरस्कार घोषित किया गया है।

3-पुलिस रेगुलेशन के पैरा 464(क) में निहित प्रावधानों के अंतर्गत थाना बडौत पर पंजीकृत मु0अ0सं0 359/26 धारा 304 बीएनएस में वांछित/फरार अभियुक्त अंकुर बालियान पुत्र सुनील निवासी शास्त्री नगर थाना कविनगर जनपद गाजियाबाद की गिरफ्तारी हेतु ₹25,000 का पुरस्कार घोषित किया गया है।

   baghpatpolice

